राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 192/2025

गणपत लाल —**अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–।।) राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक (प्रशासन), पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जालोर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 27.01.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री हापू राम विश्नोई, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नलक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी जो सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यरत है का स्थानांतरण ग्राम समिति चितलवाना से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चितलवाना किया है।
3. अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि स्थानांतरण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 08.03.2017 को जो दिशा–निर्देश जारी किए गए है उसमें सहायक लेखाधिकारी द्वितीय का स्थानांतरण सामान्यतया 4 वर्ष से पूर्व नहीं किए जाने के निर्देश दिए थे। अपीलार्थी का स्थानांतरण 4 वर्ष से पूर्व किया गया है। ऐसे में

स्थानांतरण नीति के विरूद्ध अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी का वर्तमान स्थान पर पदस्थापन हुए 2 वर्ष 4 माह का समय इ हुआ है। अपीलार्थी को 4 वर्ष पूर्व स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

5. हमने अपीलार्थी के द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया स्थानांतरण के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं कि इसमें यह भी प्रावधान है कि विशिष्ट परिस्थितियों में और राज्य हित में चार वर्ष से पूर्व भी राज्य सरकार की अनुमति से स्थानांतरण किया जा सकता है। स्थानांतरण निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर द्वारा प्रशासनिक आधार पर और राज्य हित में किया गया है। इसमें यह प्रकट नहीं हुआ है कि स्थानांतरण नीतियों के विरूद्ध किया गया हो और यह भी प्रकट नहीं हुआ है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण में किसी प्रकार की दुर्भावना रही हो। यह नियोक्ता पर निर्भर करता है कि किसी कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)